

जनपद हापुड़ में महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर जन धन योजना का प्रभाव

1. डॉ० उमेश कुमार दीक्षित, प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश।
2. राधा, शोधार्थिनी, समाजशास्त्र विभाग, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश।

1.1 परिचय

किसी भी समाज की तस्वीर बदलने में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मुझे योग्य माता दे दो मैं तुमको योग्य राष्ट्र दूँगा। आज हर क्षेत्र में महिलाएँ पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। महिला सशक्तीकरण के दौर में महिलाओं ने घर की देहड़ी से बाहर कदम बढ़कर स्वयं कामकाजी महिला होने का गौरव हासिल किया है तथा स्वयं की व समाज की स्थिति को परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया है। पुरातन समाज में किसी की माँ अथवा बहू या पत्नी के रूप में पहचानी जाने वाली महिला ने अपनी परम्परागत छवि को तोड़ा है। आज उसकी स्वयं की अपनी पहचान है। उसने पुरुषों के समकक्ष स्तर, अवसर तथा सामाजिक, आर्थिक व कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। एक कामकाजी महिला की स्थिति का आँकलन करना एक कठिन कार्य है। यँ तो प्रत्येक महिला कामकाजी होती है। परन्तु घरेलू महिला के कामकाज का आर्थिक मूल्य न होने के कारण उसे कामकाजी की श्रेणी में नहीं रखा जाता।

भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दे तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी। फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ कुछ लोग महिला रोजगार के बारे में बात करते हैं जबकि अधिकतर लोगों को युवाओं के बेरोजगार होने की ज्यादा चिंता है। हाल ही में प्रधानमंत्री की 'आर्थिक सलाहकार परिषद' की पहली बैठक में 10 ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की चिह्नित किया गया जहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दुर्भाग्य की बात यह है कि महिलाओं का श्रम जनसंख्या में योगदान तेजी से कम हुआ है। यह लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन फिर महिला रोजगार को अलग श्रेणी में नहीं रखा गया है नेशनल सैंपल सर्वे (68 वां राउंड) के अनुसार 2011-12 में महिला सहभागिता दर 25.51 थी जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 24.8 और शहरी क्षेत्र में मात्र 14.7 थी। जब रोजगार की कमी है तो आप महिलाओं के लिए पुरुषों के समान कार्य अवसरों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एक पुरुष ज्यादा समय तक काम कर सकता है उसे मातृत्व अवकाश की जरूरत नहीं होती है और कहीं भी यात्रा करना उसके लिए आसान होता है। निर्माण कार्यों में महिलाओं के लिए पालना घर या शिशुओं के लिए पालन की सुविधा मुहैया कराना जरूरी होता है। स्वाभाविक रूप से, जब हम भारत में महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि महिलाओं को अपने अधिकारों जैसे वोट देने का अधिकार, संपत्ति के अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता, उनके कानूनी अधिकार और कई अन्य अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए, जिसका अर्थ है। महिलाओं को उनके आत्म-मूल्य, अपनी पसंद निर्धारित करने की उनकी क्षमताओं का एहसास कराना और ऐसे समाज को आकार देना जहाँ महिलाएं अन्य मनुष्यों की तरह ही अपने सम्मान और अधिकारों का आनंद ले सकें।

1.2 उपलब्ध साहित्य का पुनर्विलोकन

किसी भी शोध कार्य में अर्न्तदृष्टि विकसित करने के लिए साहित्यिक पुनरावलोकन का विशेष महत्व होता है। इसके माध्यम से किसी भी शोध विषय के बारे में हुए पूर्व अध्ययनों के आधार पर पुनः अन्वेषण से बचा जा सकता है। अपने शोध विषय से सम्बन्धित नवीन तथ्यों को खोजने की दिशा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शोध विषय के बारे में हुए शोधों के अवलोकन से विषय के बारे में बहु आयामी ज्ञान प्राप्त होता है, जो शोधार्थी के लिए अपने शोध विषय से सम्बन्धित तथ्यों से अवगत कराते हैं। इस प्रकार शोधार्थी अपने विषय सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं को भली भाँति समझने लगता है।

के०पी० सिंह (2015) ने अपने अध्ययन में बताया कि 75 प्रतिशत कार्यरत महिलाएँ अपने घर व बच्चों पर सही से ध्यान नहीं दे पाती हैं। उनका अधिक समय कार्यस्थल पर बीतता है। जिससे परिवार को समय दे पाना कठिन हो जाता है जिससे उनको भूमिका द्वन्द का सामना करना पड़ता है।

सत्यानन्द कृष्ण (2018) ने अध्ययन के उपरांत निष्कर्षतः बताया कि कार्यरत महिलाओं को भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक उत्तरदायित्व एवं कार्यस्थल के उत्तरदायित्व के बीच सामन्जस्य निभाने में द्वन्द होता है। परिवार में पति व बच्चों को पर्याप्त समय न दे पाना इसका मुख्य कारण होता है। जिसके कारण उनको मनोवैज्ञानिक असन्तोष

रहता है जिसके कारण उनके स्वभाव में बदलाव आ जाता है।

एस0 के0 जैना (2019) ने अपने अध्ययन में आधुनिकीकरण का कार्यशील महिलाओं की जीवनशैली पर पड़ने वाले प्रभावों को बताया कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने उड़ीसा की कार्यरत महिलाओं के पारिवारिक मूल्यों तथा विवाह, शिक्षा और रोजगार के संदर्भ में उनके दृष्टिकोण और व्यवहार को परिवर्तित किया है। आधुनिक समाज की महिलाएँ सामाजिक परिवर्तन की पक्ष धर हैं साथ ही परम्परागत मूल्यों को भी संरक्षित रखना चाहती हैं। महिलाओं के व्यवहारिक जीवन में धार्मिकता अधिक पायी जाती है लेकिन सैद्धान्तिक रूप से धर्म निर्पेक्ष मूल्यों पर बल देती है।

बिजनेस स्टैण्डर्ड रिपोर्ट (2021) के अनुसार पिछले एक दशक के दौरान कार्यरत महिलाओं की वैश्विक रैंकिंग में भारत निचले पायदान पर रहा है। दो दशकों के डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि महिला (विशेष रूप से युवा महिला) बड़ी संख्या में शहरी कार्यबल में प्रवेश किया है। रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि ज्यादातर महिलाओं को कम मजदूरी और कम जोखिम कार्यों में काम मिलता है। विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को 60 प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा मिलता है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी की वृद्धि दर 14.4 प्रतिशत प्रति वर्ष रही है। शहरी महिलाएँ 20 प्रतिशत के करीब घरेलू नौकर, क्लीनर, विक्रेता आदि रूप में कार्य करती हैं। शहरी महिलाओं में 43 प्रतिशत स्वरोजगार में लगी हैं।

1.3 शोध अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध कार्य के कई उद्देश्य हैं जो निम्नानुसार हैं :-

1. सरकार द्वारा महिला आर्थिक सशक्तिकरण के हित में चलाई गई योजनाओं का अध्ययन करना।
2. जनधन योजना का महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव का अध्ययन करना।
3. जनपद हापुड़ में चयनित परिवारों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

1.4 परिकल्पना

1. सरकार द्वारा जारी जनधन योजना का जनपद हापुड़ में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
2. सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार का प्रभाव वास्तविक लाभार्थियों को मिल रहा है।
3. जनपद हापुड़ में शिक्षा का स्तर महिला सशक्तिकरण में सकारात्मक सिद्ध हुआ है।

1.5 प्रधानमंत्री जन-धन योजना

माननीय प्रधान मंत्री ने प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूलभूत बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तक पहुंच के साथ देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करते हुए व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त, 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई बचत बैंक खाता न हो वह बिना किसी न्यूनतम शेष की आवश्यकता के एक खाता खोल सकता है तथा यदि वह स्व-प्रमाणित करता है कि उसके पास बचत खाता खोलने के लिए अपेक्षित अधिकारिक रूप से वैध कोई भी दस्तावेज नहीं है तो एक छोटा खाता खोल सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग सेवाओं की पहुंच के विस्तार के लिए देश के 6 लाख से अधिक सभी गांवों को 1.59 लाख उप-सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में बांटा गया था, प्रत्येक एसएसए में 1000 से 1500 परिवार होते हैं तथा 1.26 लाख एसएसए जिनमें कोई बैंक शाखा नहीं है, शाखा-रहित बैंकिंग के लिए बैंक मित्र तैनात किए गए थे।

इस प्रकार, पीएमजेडीवाई में बैंक सुविधा से वंचित व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाओं की सहज उपलब्धता तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के जरिए वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता सृजित करने की व्यथवस्था की गई है। इसके अलावा, उन्हें एक रुपये-डेबिट कार्ड प्राप्त होता है। जिसमें 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर अंतर्निहित होता है तथा छः माह के संतोषजनक खाता परिचालन इतिवृत्त के आधार पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 09 मई, 2015 को शुभारंभ की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए सभी पात्र खाता धारक अपने बैंक खातों के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा कवर तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अभिदाताओं को गारंटी युक्त व न्यूनतम पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

पीएमजेडीवाई की अवधारणा एक सुदृढ़ नवोन्मेषी एवं महत्वाकांक्षी मिशन के रूप में की गई थी। वर्ष 2011 की जनगणना में यह अनुमान लगाया गया था कि देश में 24.67 करोड़ परिवारों में से 14.48 करोड़ (58.7 प्रतिशत) परिवारों के

लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता थी। योजना के प्रथम चरण में योजना के आरंभ किए जाने के एक वर्ष के भीतर बैंक खाता खोलकर इन परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 26 जनवरी, 2015 तक वास्तविक उपलब्धि 12.55 करोड़ थी। 27.03.2019 की स्थिति के अनुसार, खातों की संख्या बढ़कर 35.27 करोड़ हो गई। इसके अलावा, वर्ष 2011 में केवल 0.33 लाख एसएसए में बैंकिंग सुविधा थी तथा शाखा रहित एसएसए में 1.26 लाख बैंक मित्रों के जरिए पूरे ग्रामीण भारत में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया गया था। इसका समावेशी पहलू इस तथ्य से स्पष्ट है कि पीएमजेडीवाई खातों में से 20.90 करोड़ (60 प्रतिशत) खाते ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 18.74 करोड़ (53 प्रतिशत से अधिक) खाताधारक महिलाएं हैं। पीएमजेडीवाई खाते के जमा आधार में समय के साथ विस्तार हुआ है। दिनांक 27.03.2019 की स्थिति के अनुसार पीएमजेडीवाई खाते में जमा राशि 96,107 करोड़ रुपए थी। प्रति खाते औसत जमा राशि जो मार्च, 2015 में 1,064 रुपए थी, मार्च, 2019 में बढ़कर 2,725 रुपए हो गई।

1.6 जनपद हापुड़ में महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर जन धन योजना का प्रभाव

वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता, दोनों गरीब और कमजोर लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। देश के प्रत्येक नागरिक पर बैंकिंग क्षेत्रों के प्रभाव तक राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि प्रगतिशील नहीं है। जन धन योजना उन गरीबों और कमजोर लोगों पर विचार करने के प्रयासों में से एक है, जिनके पास बैंकिंग पहुंच कभी नहीं है और इस तरह उन्हें मौलिक अधिकारों से बाहर रखा गया है। दूसरे, वित्तीय समावेशन एक साधन है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों के लिए। यह विकसित और निम्न आय समूहों के तहत विशाल वर्गों को सस्ती कीमत पर विभिन्न वित्तीय उत्पादों और परिचालनों के वितरण को दर्शाता है।

प्रथमचरण:-

15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक 7.5 करोड़ परिवारों के बैंक खाता खोले जाने का लक्ष्य रखा गया था। प्रधानमंत्री द्वारा बैंकों को इस लक्ष्य को 26 जनवरी 2015 तक ही पूर्ण करने के लिये कहा गया। जिसके तहत पूर्ण सफलता को देखते हुए 26 नवम्बर 2014 को इस लक्ष्य को 7.5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ परिवारों पर कर दिया गया था ताकि देश भर के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच यथोचित दूरी के तहत बैंक शाखा या नियत स्थान व्यापार मित्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। सोत्र लिखना है। इस योजना के तहत शून्य शेष पर बैंक खाता खुलेगा तथा खाता धारक के रुपये डेविड कार्ड के साथ 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा एवं 26 जनवरी 2015 तक खाता खोलने वाले को 30,000 रुपये का बीमा कवर प्राप्त होगा इसके अतिरिक्त इन खातों पर 5000 रुपये तक का ओवर ड्राफ्ट सुविधा परिवार का एक से अधिक खाता होने पर एक ही खाते पर जिसमें महिला सदस्यों को वरीयता दी जायेगी साथ ही आधार सम्बद्ध खातों में 6 माह तक संतोषजनक संचालन के पश्चात उपलब्ध होगी।

द्वितीयचरण:-

15 अगस्त 2015 से 14 अगस्त 2018 तक प्रस्तावित हैं। जिसमें लोगों को सूक्ष्म बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ बैंक मित्र के माध्यम से स्वालम्बन जैसी असंगठित क्षेत्र की पेशन योजनाओं के लाभ भी प्रदान किये जाएंगे यह योजना मिशन मोड में चलाई जा रही हैं। तथा केन्द्रीय वित्त को इस योजना का मिशन प्रमुख नियुक्त किया गया इस योजना के तहत परिवार की महिला सदस्य का खाता खोलने को प्राथमिकता दी जा रही थी। इसके अलावा वर्तमान खाता धारक भी एक आवेदन देकर प्रधानमंत्री जन-धन योजना 28 अगस्त 2014 को योजना का लाभ प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार प्रधानमंत्री जन-धन योजना उद्घाटन के दिन भारत के समस्त बैंकों द्वारा एक साथ लगभग 60,000 शिविर लगाए गये जिसके परिणाम स्वरूप योजना के पहले दिन 1 करोड़ 5 लाख बैंक खाते खोले गए प्रधानमंत्री ने इस अभूतपूर्व अवसर को भारत के लिए वित्तीय स्वतंत्रता दिवस बताया। इस प्रकार जन-धन योजना का शुभारम्भ बड़ी शान से किया एवं आम आदमी को बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था से जोड़ना एक साहसिक कदम हैं। इसमें निर्धन तथा किसानों की आय में वृद्धि होगी और हम रोज की मार काट बेरोजगारी किसानों की आत्म हत्या, भुखमरी, बदहाली एवं देश के लोगों में बढ़ते आन्दोलन भी समाप्त होंगे।

1.7 प्रधानमंत्री जन-धन खाता की आवश्यकता एवं महत्व:-

इस योजना के प्रारम्भ के समय पहले ही दिन लगभग 1.50 करोड़ खाते तथा 23 से 29 अगस्त 2014 के मध्य 18096130 खाते इस योजना के तहत खोले गये जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड द्वारा विश्व रिकार्ड के रूप में मान्यता दी गई तथा 17 जनवरी 2015 तक इन खातों की संख्या 1150 करोड़ पर पहुंच गई और साथ ही 10 करोड़ लाभार्थियों के रुपये कार्ड भी जारी कर दिये गये। नवम्बर 2014 के प्रारम्भ में केरल इस योजना के तहत पूर्ण कवरेज

प्राप्त करने वाला राज्य के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक बैंक खाता वाला प्रथम राज्य बना। जन-धन योजना को सफल बनाने में बैंकिंग क्षेत्र का अहम योगदान रहा है। साल भर के अन्दर बैंक भी मुद्रा आवेदकों को ऋण देने के लिए कतारों में खड़े होंगे साथ ही जन-धन योजना का लक्ष्य है जिसके पास धन नहीं है उसे धन उपलब्ध कराना जो भारत के छोटे उद्यमी अभी तक साहूकारों एवं महाजनों के हाथ से शोषित होते आये हैं लेकिन जन-धन योजना से प्राप्त मुद्रा उन्हें यह विश्वास दिलायेगा कि वे राष्ट्र निर्माण में योगदान देते रहेंगे और देश उनके प्रयासों में उनकी सहायता करेगा। प्रत्येक वयस्क नागरिकों के लिए बैंक में बेसिक बचत खाता शून्य शेष के साथ खोला जाना इस योजना का दूसरा स्तम्भ है। जिसमें सभी परिवारों में वयस्क भारतीय नागरिकों के लिए बेसिक बचत खाता खोला जायेगा, पूर्व में वित्तीय समावेशन अभियान के तहत यह लक्ष्य रखा गया कि सभी व्यक्तियों के लिए बैंकों में बेसिक बचत खाता खोल दिया जाय। भारतीय रिजर्व बैंक के प्राक्कलन के अनुसार देश में 24.67 करोड़ परिवारों में 14.48 करोड़ परिवार बैंकिंग सेवा से जुड़े हुए थे। जो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के अनुमान के अनुसार 31 मई 2014 तक 9.17 करोड़ ग्रामीण परिवार बैंकों में खाता खोलने के लिए चिन्हित किये गये थे जिनमे से 523 करोड़ परिवारों के बैंक में खाता खोल दिये गये। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में बचत खाता न खोलने वाले परिवारों को खाता खुलवाना भी आपेक्षित है, शहरी क्षेत्र में लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को बैंक में खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

1.8 जन धन योजना की प्रकृति और कार्यक्षेत्र और इसका महत्व :-

सामाजिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में जन धन योजना की प्रकृति और दायरे और इसके महत्व को समझना। शोधार्थिनी ने जनसांख्यिकीय चर जैसे लिंग, आयु, ब्लॉक, व्यवसाय, आय स्तर और वित्तीय साक्षरता आदि द्वारा डेटा का क्रॉस सारणीकरण किया है। जन धन योजना खाता धारकों की आर्थिक स्थिति में परिवार की आय, व्यय पैटर्न, बचत की आदतें जीवन स्तर, शामिल हैं। तदनुसार, आय स्तर, लेनदेन, डेबिट कार्ड के संचालन और वित्तीय साक्षरता, आदि के विवरण को समझने के लिए विभिन्न तालिकाओं को प्रस्तुत किया जाता है।

1.9 जिले के विकास खण्ड :-

इस जांच में, शोधार्थिनी ने पूरे हापुड़ जिले का अध्ययन करने और जन धन योजना के बारे में जागरूकता को समझने के लिए हापुड़ जिले के विकास खण्ड धौलाना व सिंभावली का चयन किया है। जिसमें विभिन्न प्रकार की आबादी जैसे कि महिला किसान, महिला श्रमिक, स्व-नियोजित, प्रवासी श्रमिक और विशेष प्रकार की जनजातियाँ शामिल हैं, नमूना आकार का अध्ययन उनके अनुपात को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। निम्न तालिका अध्ययन क्षेत्रों के भीतर उत्तरदात्रियों का विवरण दिखाती है।

तालिका 1.1
नमूनों की आवृत्ति

स.क्र	विकासखण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या
1	धौलाना	300
2	सिंभावली	300
	कुल योग	600

स्रोत प्रश्नावली –

उपरोक्त तालिका 1.1 यह दर्शाती है कि कुल 600 उत्तरदात्रियाँ हैं जो दो विकास खंडों में विभाजित हैं। इनमें धौलाना मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, जैसे कि स्वरोजगार करने वाली, महिला श्रमिक, महिला किसान, नौकरानी और छोटी विक्रेता, आदि। जबकि, सिंभावली में अधिकतम श्रमिक (प्रवासी सहित) शामिल हैं।

उत्तरदात्रियों का आयु-वार वितरण।

मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए आयु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यह उनके समझ के स्तर के साथ-साथ संचालन के तरीकों को दर्शाता है। तदनुसार, शोधार्थिनी ने विभिन्न बैंकिंग कार्यों के प्रति अपनी अवधारणाओं को समझने के लिए उत्तरदात्रियों की उम्र का पता लगाने का प्रयास किया है। विवरण निम्नानुसार है –

तालिका 1.2
उत्तरदात्रियों की आयु वर्ग

स.क्र	आयु	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
-------	-----	--------------------------	---------

1	18–30 वर्ष तक की आयु	12	02 प्रतिशत
2	30–40 वर्ष की आयु	144	24 प्रतिशत
3	40–50 वर्ष की आयु	384	64 प्रतिशत
4	50 वर्ष से अधिक की आयु	60	10 प्रतिशत
	कुल योग	600	100 प्रतिशत

स्रोत प्रश्नावली –

उत्तरदात्रियों की शैक्षणिक योग्यता

शिक्षा उन कारकों में से एक है जो जीवन में उचित मार्ग दिखा रहा है। यह एक उपकरण है जो न केवल परिस्थितियों की समझ प्रदान करता है बल्कि अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में भी सतर्कता बरतता है। इसलिए जीवन में विकास करने के लिए बुनियादी शिक्षा होना आवश्यक है। खासकर बैंकिंग लेनदेन के मामले में। इस जांच में, शोधार्थिनी ने उत्तरदात्रियों के वित्तीय समावेशन के स्तर को समझने का प्रयास किया है और इसलिए उत्तरदात्रियों की शैक्षणिक दक्षता महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित डेटा उत्तरदात्रियों के शैक्षणिक स्थिति के स्तर को दर्शाता है।

तालिका 1.3
उत्तरदात्रियों की शैक्षणिक योग्यता

स.क्र	शिक्षा	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	अशिक्षित	66	11 प्रतिशत
2	8 वीं तक	168	28 प्रतिशत
3	10 वीं पास	198	33 प्रतिशत
4	12 वीं एवं इससे ऊपर अध्ययन	168	28 प्रतिशत
	कुल योग	600	100 प्रतिशत

स्रोत— प्रश्नावली

वैवाहिक स्थिति

विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है। यह परिवार को विकसित करता है जिसे आगे सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास भी चाहिए। आर्थिक विकास करने के लिए, बैंकिंग प्रणाली के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि कोई व्यक्ति संस्थानों के माध्यम से वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सके। जन धन योजना उन गरीब और कमजोर लोगों के लिए अवसर प्रदान कर रही है, जिन्हें बैंकिंग बैलेंस से बाहर रखा गया है ताकि वे बैंक में शून्य बैलेंस, दस्तावेजों के कुछ सेट और कई लाभों पर विचार कर बचत खाता खोल सकें। शोधार्थिनी ने जन धन योजना के तहत लाभ उठाने की दिशा में अपनी प्राथमिकता को गिनने के लिए उत्तरदात्रियों की वैवाहिक स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया है।

तालिका 1.4
उत्तरदात्रियों की वैवाहिक स्थिति

स.क्र	वैवाहिक स्थिति	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	विवाहित	456	76 प्रतिशत
2	अविवाहित	144	24 प्रतिशत
	कुल योग	600	100 प्रतिशत

स्रोत— प्रश्नावली

बैंकिंग मानदंड :-

यह समझने के लिए कि जन धन योजना खाताधारक बैंकिंग मानदंडों का पालन कर रहे हैं या नहीं। बैंक अधिकारियों/बैंक मित्राओं से एक विस्तृत जानकारी मांगी गई थी कि वे दृढ़ता से सहमत हों, सहमत हों और ऐसा न कह सकें।

बैंकों के दौरे का विवरण

जन धन खाता धारकों को बैंक शाखाओं/बैंक मित्राओं का दौरा करने के लिए दो अलग-अलग मापदंडों में मासिक यात्राओं की आवृत्ति का विश्लेषण किया जाता है। उच्चतर यात्राएं बैंकिंग नेटवर्क की आवश्यकता और वित्तीय कार्यों की

पूर्ति को दर्शाती हैं। जन धन खाता धारकों की यात्राओं के विवरण निम्नलिखित हैं।

तालिका 1.5
बैंक खाता धारकों द्वारा माह में लेन-देन की संख्या

मासिक यात्रायें	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
2 बार से अधिक	480	80 प्रतिशत
5 बार से कम	120	20 प्रतिशत
कुल योग	600	100.00

स्रोत-प्रश्नावली

उपरोक्त सारणी 1.5 से यह सिद्ध होता है कि, जन धन खाता धारकों में से 80 प्रतिशत एक महीने में 2 बार से अधिक बैंकों का दौरा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि गरीब और कमजोर लोग बैंकिंग कार्यों की जरूरतों को अच्छी तरह से समझते हैं और इसलिए वे नियमित रूप से बैंक खातों का संचालन कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण दिखाता है कि बैंकिंग उत्पादों के बारे में जागरूकता प्रदान करने की आवश्यकता है।

जन धन योजना के लिए संतुष्टि –

जन धन योजना और इसकी संतुष्टि के स्तर के बारे में बैंक अधिकारियों और व्यापार संवाददाताओं की धारणा को समझना आवश्यक है। यहां, शोधार्थिनी ने 5 बिंदु विकल्प दिए हैं। 1, दृढ़ता से सहमत होना और 5 उत्तरदात्रियों से दृढ़ता से असहमत होना और अपनी प्रतिक्रियाएं एकत्र करना। प्रतिक्रियाओं का विवरण निम्न तालिका में सूचीबद्ध है।

तालिका 1.6
जन धन योजना का संतोष

स.क्र	पैरामीटर	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	सहमत	384	64 प्रतिशत
2	असहमत	192	32 प्रतिशत
3	तटस्थ	24	04 प्रतिशत
	कुल योग	600	100.00

स्रोत-प्रश्नावली

उपरोक्त सारणी 1.6 के अनुसार जन धन योजना के तहत बचत खाते खोलने वाली महिला जन धन खाता धारकों का अधिकतम संतुष्टि स्तर है। अधिकांश यानी 64 प्रतिशत बैंक अधिकारी/बैंक मित्र गरीब और कमजोर लोगों द्वारा जन धन योजना खाते के मौजूदा संचालन से संतुष्ट हैं। जबकि 32 प्रतिशत असहमत है तथा केवल 4 प्रतिशत ऐसी उत्तरदात्रियां ऐसी है जो तटस्थ है।

तालिका 1.7
जन धन योजना का बचत एवं निवेश का प्रारूप

स.क्र	प्रणाली	धौलाना		सिंभावली	
		उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	सावधि जमा	150	50 प्रतिशत	290	96.66 प्रतिशत
2	जीवन बीमा	56	18.66 प्रतिशत	6	2 प्रतिशत

3	सोना	25	8.33 प्रतिशत	4	1.33 प्रतिशत
4	जमीन	49	16.33 प्रतिशत	0	0. प्रतिशत
5	अन्य	20	6.66 प्रतिशत	0	0
	कुल योग	300	100.00	300	100.00

स्रोत-प्रश्नावली

- उपरोक्त सारणी 1.7 में, शोधार्थिनी के निम्नलिखित अवलोकन हैं—
- उत्तरदात्रियों का सबसे बड़ा हिस्सा यानी धौलाना विकास खण्ड से 150 (50 प्रतिशत), सिंभावली विकास खण्ड से 290 (96.66 प्रतिशत) जन धन के सावधि जमा से अत्यधिक प्रभावित हैं योजना और उनकी समझ के अनुसार विस्तृत जानकारी एकत्र की।

1.10 निष्कर्ष एवं सुझाव

हापुड़ जनपद के विकासखण्ड धौलाना व सिंभावली के सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाएं साक्षर हैं। क्षेत्र में शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। अधिकांश महिलाओं का मत है कि क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा के प्रति जनमानस पूर्णतः सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। शोध क्षेत्र में पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण के पश्चात महिलाएं अपने अधिकारों का उपभोग कर पा रही हैं। अधिकांशतः महिलाएं वर्तमान में भी सरपंच के पद पर स्वयं निर्णय ले सकती हैं वे महिलाएं अपने पति पर निर्भर नहीं रहती हैं। उत्तरदात्रियों का एक निम्नतम भाग पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण से सन्तुष्ट नहीं है। परन्तु अधिकांशतः उत्तरदात्रियों का मानना है कि पंचायतों में मिले 50 प्रतिशत आरक्षण द्वारा महिला विकास में वृद्धि हो रही है।

- यह वर्णित होता है कि 40–50 वर्ष की आयु के उत्तरदात्रिया 64 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्होंने जन धन योजना के तहत बचत खाते खोले हैं, जबकि 30–40 आयु वर्ग में यह 24 प्रतिशत दिखाता है और अन्य समूह जैसे कि 18–30 वर्ष तक की आयु नगण्य केवल 2 प्रतिशत की ही भागीदारी है।
- उत्तरदात्रियों के सबसे बड़े भाग के बारे में, यानी 456 (76 प्रतिशत) विवाहित हैं। यह इंगित करता है कि उत्तरदात्रियों की वैवाहिक स्थिति के बीच काफी अंतर है। आंकड़े जन धन योजना की पहुंच का प्रतिनिधित्व करते हैं जो घरों तक पहुंच गया और व्यापक रूप से वित्तीय समावेशन मिशन को कवर करता है। जबकि 144 (24 प्रतिशत) अविवाहित हैं।
- जन धन योजना के लाभार्थियों का मुख्य व्यवसाय नौकरी है, जिसमें 140 उत्तरदात्रियों (23.33 प्रतिशत) हैं। कृषि व्यवसाय और स्वरोजगार जैसे अन्य व्यवसायों को समान रूप से (25.33 प्रतिशत) प्रत्येक उत्तरदात्रियों के बीच वितरित किया जाता है। इस प्रकार, इसका निष्कर्ष यह है कि उत्तरदात्रियों को अपने आय की सुरक्षा के लिए बैंकिंग कार्यों की आवश्यकता होती है।
- 92 प्रतिशत बैंक अधिकारी/बैंक मित्र इस बात को स्वीकार करते हैं कि जन धन योजना के महिला ग्राहक अपने बैंक खातों का संचालन करते समय बैंकिंग मानदंडों का पालन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जन धन योजना के माध्यम से, गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली के तहत कवर किया जाता है। जबकि 8 प्रतिशत इस बात से अहमत है।
- जन धन खाता धारकों में से 80 प्रतिशत एक महीने में 2 बार से अधिक बैंकों का दौरा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि गरीब और कमजोर लोग बैंकिंग कार्यों की जरूरतों को अच्छी तरह से समझते हैं और इसलिए वे नियमित रूप से बैंक खातों का संचालन कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण दिखाता है कि बैंकिंग उत्पादों के बारे में जागरूकता प्रदान करने की आवश्यकता है।
- वर्णित होता है कि 67 प्रतिशत बैंक अधिकारी/बैंक मित्र इस बात पर सहमत हुए हैं कि रुपये डेबिट कार्ड जन धन योजना के खाताधारकों को जारी किए गए थे। शोधार्थिनी ने जन धन खाता धारकों को दिए गए बीमा कवर के वास्तविक निष्पादन

और दावा निपटान में समय की पाबंदी का पता लगाने का प्रयास किया है।

सुझाव –

- वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा बनना चाहिये क्योंकि किसी भी सरकार का अंतिम लक्ष्य लोगों को उनके द्वारा कार्यवाई करने के लिये सशक्त बनाना है जो उनके स्वयं के हित में हैं। जब लोग उपलब्ध वित्तीय उत्पादों के बारे में जानते हैं और जब वे प्रत्येक उत्पाद की योग्यता और अवगुणों का मूल्यांकन करने और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये उत्पाद की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं।
- समय की एक छोटी अवधि के भीतर प्रधानमंत्री जन धन योजना ने वित्तीय समावेशन परिदृश्य में गेम चेंजर के रूप में अपनी भूमिका को पहले से ही बढ़ाया है। विशेष रूप से किसी भी बैंक खाते के बिना अधिकांश गरीबों और व्यापक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में सभी हितधारकों को लाभान्वित करना।
- वित्तीय साक्षरता होने पर पीएमजेडीवाई और तेजी ला सकता है अधिक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में पहल की जाती है। हालांकि वित्तीय समावेशन को समावेश के आपूर्ति पक्ष तत्व के रूप में देखा जा सकता है, वित्तीय साक्षरता निश्चित रूप से मांग पक्ष से प्रमुख तत्व बनाएगी।
- यह सच है कि पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन का तौर-तरीका एक चुनौती है और जिस तरह से इसे लागू किया गया है, वह देश में एक गंभीर गेम चेंजर है। हालांकि सच्चे वित्तीय समावेशन के लिये बैंक खाते खोलने से अधिक की आवश्यकता होगी। इसलिये, वित्तीय सेवाओं के उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिये उद्यमी नवाचार को अनुमति देने और प्रोत्साहन करने की तत्काल आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- अंबेडकर, डॉ. बी. आर., जातिभेद का बीजनाश अनुवादक आचार्य जुगल किशोर बौद्ध, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010.
- डॉ. कौशिक, जगबीर, भारत निर्माण योजना का अवलोकन, कुरुक्षेत्र, अक्टूबर, 2012
- पाण्डेय, अशोक कुमार, गरीबी रेखा : प्राथमिकताओं के सवाल, योजना, अप्रैल, 2014.
- 'मधुसूदन', गजेन्द्र सिंह, गाँव में नवजीवन का संचार करती पंचायतें, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कुरुक्षेत्र, नवंबर 2015.
- अमीन, शाहिद, पाण्डेय, ज्ञानें, निम्नवर्गीय प्रसंग भाग-1, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010.
- पासवान, डॉ. अमरनाथ (सम्पा.) भारतीय लोकतंत्र का सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, विक्टोरियस पब्लिशर्स, दिल्ली, 2016.
- यादव, चौथीराम, उत्तरशती के विमर्श और हाशिए का समाज, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली, 2014.
- रणसुभे, डॉ. सूर्यनारायण, दलित चेतना की पहचान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012.

वेबसाइट :

- hi.vikaspedia.in/education/policies-and-schemes
- <http://www.varanasicity.com/History-of-Varanasi.html>
- https://hi.m.wikipedia.org/wiki/efgyk_l'kfDrdj.k
- https://hi.m.wikipedia.org/wiki/iz/kkuea=h_ea=h_mTToyk;kstuk
- narega.nic.in/Gazette/UP-Gazette.pdf
- updes.up.nic.in